न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 199/2024

अनवान :

1. आत्माराम पौत्र दुलाराम पुत्र महावीर जाति जाट निवासी बौझला तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. दुलाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी बौझला तहसील भादरा (फौत)।
2. महावीर सिंह पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी बौझला तहसील भादरा।
3. पालाराम फोगावट पुत्र दुलाराम जाति जाट बौझला तहसील भादरा।
4. ओमप्रकाश फोगावट पुत्र दुलाराम जाति जाट बौझला तहसील भादरा।
5. रणसिंह फोगावट पुत्र दुलाराम जाति जाट बौझला तहसील भादरा।
6. परमेश्वरी देवी पुत्री दुलाराम जाति जाट बौझला तहसील भादरा।
7. मोहनी पुत्री दुलाराम जाति जाट बौझला तहसील भादरा।
8. विद्या पुत्री दुलाराम जाति जाट बौझला तहसील भादरा।
9. रोताशचन्द्र पौत्र दुलाराम पुत्र महावीर सिंह जाति जाट निवासी बोझला त0 भादरा।
10. रजनीश चौधरी पौत्र दुलाराम पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी बोझला त0 भादरा।
11. आकाश पौत्र दुलाराम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बोझला त0 भादरा।
12. आदित्य चौधरी पौत्र दुलाराम पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा
13. तश्विन चौधरी पुत्र रणसिंह नाबालिग जरिये वली कुदरती माता प्रेमकला पत्नी रणसिंह जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा।
14. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर जरिए शाखा प्रबंधक पंजाव नेशनल बैंक मलसीसर।
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री बंशीधर शर्मा : **वादी**
वकील श्री भीम सहारण : **प्रतिवादी सं0 1 ता 13**

निर्णय

दिनांक : 23.09.25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मेहलिया के खाता संख्या 30/28 के खसरा संख्या 34/2 की 1.518 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सम्पूर्ण हिस्सा तथा रोही मौजा बोझला के खाता संख्या 61/41 के खसरा संख्या 199/1 की 2.2760 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम के नाम सम्पूर्ण हिस्सा तथा रोही मौजा रासलाना के खाता संख्या 115/100 के खसरा संख्या 444 की 5.4890 है0 बारानी प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम के नाम सम्पूर्ण हिस्सा [illegible]

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि [illegible] रोही मौजा रासलाना व बौझला वादी की दादालाई [illegible] वादी को जन्म से हक [illegible] अधिकार निहित है। वादभूमि पहले [illegible] बेगाराम की खातेदारी [illegible] करती थी जो बेगराज उर्फ बेगाराम के देहान्त होने पर [illegible]वादी संख्या 1 को महज [illegible] खानदान होने के चलते प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.10.17 16:44:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 13 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 15 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में आत्माराम पौत्र दुलाराम पुत्र महावीर जाति जाट निवासी बौझला तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा मेहलिया खाता संख्या 30 संवत 2076–2079 प्रदर्श 1, जमाबंदी ग्राम बोझला खाता संख्या 61 संवत 2073–76 प्रदर्श 2, जमाबंदी ग्राम रासलाना के खाता संख्या 115 संवत 2075–78 प्रदर्श 3, जमाबदी ग्राम रासलाना खाता संख्या 109 संवत 2038–41 प्रदर्श 4, जमाबंदी ग्राम बोझला खाता संख्या 57 खसरा संख्या 199 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम मेहलिया, बोझला व रासलाना के राजस्व रिकार्ड में अपने दादा के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 5 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा मेहलिया के खाता संख्या 30/28 के खसरा संख्या 34/2 की 1.518 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सम्पूर्ण हिस्सा तथा रोही मौजा बोझला के खाता संख्या 61/41 के खसरा संख्या 199/1 की 2.2760 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम के नाम सम्पूर्ण हिस्सा तथा रोही मौजा रासलाना के खाता संख्या 115/100 के खसरा संख्या 444 की 5.4890 है0 बारानी प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम के नाम सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में रोही मौजा मेहलिया के खाता संख्या 30/28 के खसरा संख्या 34/2 की 1.518 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम फोत होने के कारण प्रतिवादी सं0 2 ता 5 प्रत्येक को बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक के नाम प्रत्येक का 0.3795 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा शेष वादभूमि रोही मौजा बोझला के खाता संख्या 61/41 के खसरा संख्या 199/1 की 2.2760 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम के नाम सम्पूर्ण हिस्सा तथा रोही मौजा रासलाना के खाता संख्या 115/100 के खसरा संख्या 444 की 5.4890 है0 बारानी में दुलाराम का सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज में से प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम का नाम कलमजन किया जाकर रोही मौजा रासलाना की सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 9, 12, 13 प्रत्येक का 0.6861 है0 यानि 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 व 11 प्रत्येक का 1.3722 है0 यानि 1/4 हिस्सा तथा ग्राम बोझला की सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्य 9, 12, 13 प्रत्येक का 0.284 है0 यानि 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 10 तथा 11 प्रत्येक का 0.569 है0 यानि 1/4 हिस्सा ... घोषित किये जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 6 तथा 8 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 9 ता 13 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर दिया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.10.17 16:44:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

आत्माराम बनाम दुलाराम आदि

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री कया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेहलिया के खाता संख्या 30/28 के सरा संख्या 34/2 की 1.518 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सम्पूर्ण हिस्सा था रोही मौजा बोझला के खाता संख्या 61/41 के खसरा संख्या 199/1 की 2.2760 है0 रानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम के नाम सम्पूर्ण हिस्सा तथा रोही मौजा रासलाना खाता संख्या 115/100 के खसरा संख्या 444 की 5.4890 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी ख्या 1 दुलाराम के नाम सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में रोही जा मेहलिया के खाता संख्या 30/28 के खसरा संख्या 34/2 की 1.518 है0 बारानी दभूमि प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम के फौत होने के कारण मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी ख्या 2 महावीर सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 पालाराम फोगावट, प्रतिवादी संख्या 4 ओमप्रकाश गावट तथा प्रतिवादी संख्या 5 रणसिंह फोगावट को बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक के नाम 0. 795 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष वादभूमि रोही मौजा बोझला खाता संख्या 61/41 के खसरा संख्या 199/1 की 2.2760 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी ख्या 1 दुलाराम के नाम सम्पूर्ण हिस्सा तथा रोही मौजा रासलाना के खाता संख्या 15/100 के खसरा संख्या 444 की 5.4890 है0 बारानी में दुलाराम का सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज में से प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम का नाम कलमजन किया जाकर रोही मौजा ासलाना की सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 9, 12, 13 प्रत्येक का 0.6861 है0 ानि 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 व 11 प्रत्येक का 1.3722 है0 यानि 1/4 हिस्सा तथा ाम बोझला की सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्य 9, 12, 13 प्रत्येक का 0.2845 है0 यानि 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 10 तथा 11 प्रत्येक का 0.569 है0 यानि 1/4 हेस्सा के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 6 ता 8 ने अपना हक हिस्सा ादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 9 ता 13 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। आंशिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
...जिला हनुमानगढ़

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.10.17 16:44:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 199/2024

उनवान :

1. आत्माराम पौत्र दुलाराम पुत्र महावीर जाति जाट निवासी बौझला तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. दुलाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी बौझला तहसील भादरा (फौत)।
2. महावीर सिंह पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी बौझला तहसील भादरा।
3. पालाराम फोगावट पुत्र दुलाराम जाति जाट बौझला तहसील भादरा।
4. ओमप्रकाश फोगावट पुत्र दुलाराम जाति जाट बौझला तहसील भादरा।
5. रणसिंह फोगावट पुत्र दुलाराम जाति जाट बौझला तहसील भादरा।
6. परमेश्वरी देवी पुत्री दुलाराम जाति जाट बौझला तहसील भादरा।
7. मोहनी पुत्री दुलाराम जाति जाट बौझला तहसील भादरा।
8. विद्या पुत्री दुलाराम जाति जाट बौझला तहसील भादरा।
9. रोताशचन्द्र पौत्र दुलाराम पुत्र महावीर सिंह जाति जाट निवासी बोझला त0 भादरा।
10. रजनीश चौधरी पौत्र दुलाराम पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी बोझला त0 भादरा।
11. आकाश पौत्र दुलाराम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा
12. आदित्य चौधरी पौत्र दुलाराम पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी बोझला।
13. तश्विन चौधरी पुत्र रणसिंह नाबालिग जरिये वली कुदरती माता प्रेमकला पत्नी रणसिंह जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा।
14. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर जरिए शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक मलसीसर।
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री शीधर शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री भीम सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेहलिया के खाता संख्या 30/28 के खसरा संख्या 34/2 की 1.518 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सम्पूर्ण हिस्सा तथा रोही मौजा बोझला के खाता संख्या 61/41 के खसरा संख्या 199/1 की 2.2760 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम के नाम सम्पूर्ण हिस्सा तथा रोही मौजा रासलाना के खाता संख्या 115/100 के खसरा संख्या 444 की 5.4[illegible] प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम के नाम सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि रोही मौजा मेहलिया के खाता संख्या 30/28 के खसरा संख्या 34/2 की 1.518 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम के फौत होने के कारण मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी संख्या 2 महावीर सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 पालाराम फोगावट, प्रतिवादी संख्या 4 ओमप्रकाश फोगावट तथा प्रतिवादी संख्या 5 रणसिंह फोगावट को वहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक के नाम 0.3795 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष वादभूमि रोही मौजा बोझला के खाता संख्या 61/41 के

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.10.17 16:44:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ख़सरा संख्या 199/1 की 2.2760 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम के नाम सम्पूर्ण हिस्सा तथा रोही मौजा रासलाना के खाता संख्या 115/100 के खसरा संख्या 444 की 5.4890 है0 बारानी में दुलाराम का सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज में से प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम का नाम कलमजन किया जाकर रोही मौजा रासलाना की सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 9, 12, 13 प्रत्येक का 0.6861 है0 यानि 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 व 11 प्रत्येक का 1.3722 है0 यानि 1/4 हिस्सा तथा ग्राम बोझला की सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्य 9, 12, 13 प्रत्येक का 0.2845 है0 यानि 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 10 तथा 11 प्रत्येक का 0.569 है0 यानि 1/4 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 6 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 9 ता 13 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.09.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.10.17 16:44:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSca